रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102023-249185
CG-DL-E-06102023-249185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4123] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3, 2023/आश्विन 11 , 1945
No. 4123] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

का.आ. 4294(अ).—केंद्रीय सरकार ने तत्कालीन कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग में भारत में रजिस्ट्रीकृत नियो-निकोटिनोइड कीटनाशक के सतत उपयोग या अन्यथा के परीक्षण के लिए 8 जुलाई, 2013 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी और समिति के अधिदेश को छियासठ कीटनाशकों, जो अन्य देशों में प्रतिबंधित या प्रतिषिद्ध या प्रत्याहृत किए गए थे लेकिन भारत में घरेलू उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत किए जा रहे थे, की समीक्षा के लिए 19 अगस्त, 2013 को और विस्तारित किया था ।

और समिति ने विस्तृत परीक्षण के पश्चात् केंद्रीय सरकार को 19 दिसंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो पंजीकरण समिति को निर्दिष्ट की गई थी और पंजीकरण समिति ने केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी ;

और विभाग ने पंजीकरण समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन की सूचना देते हुए, तारीख 14 अक्तूबर, 2016 को आदेश जारी किया था ;

और उक्त विशेषज्ञ समिति ने इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सताइस कीटनाशकों के उपयोग को जारी रखने की सिफारिश की थी और सिफारिश किए गए अध्ययनों के पूरा होने के पश्चात् उसी की समीक्षा की थी, इस पर पंजीकरण समिति द्वारा विचार किया गया था और केंद्रीय सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी ;

और केंद्रीय सरकार को पंजीकरण समिति के साथ विचार-विमर्श करने और सिफारिश किए गए अध्ययन, डाटा और सुरक्षा संबंधी अनुरोध की प्राप्तिति से संबंधित उनकी रिपोर्ट पर सम्यक् विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह समाधान

हो गया था कि इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सताइस कीटनाशकों के उपयोग से मानवों और पशुओं में जोखिम उत्पन्न हो सकता है इसलिए इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने हेतु समीचीन या आवश्यक कार्यवाही की जाए ;

केंद्रीय सरकार ने, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रारूप आदेश, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1512(अ), तारीख 18 मई, 2020 द्वारा कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रकाशित किया गया था और जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 18 मई, 2020 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में प्राप्त किए गए आक्षेप और सुझाव इस प्रयोजन के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति को निर्दिष्ट किए गए थे, जिस पर उक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श किया गया था ;

और, केंद्रीय सरकार को, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् और पंजीकरण समिति के साथ परामर्श के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि तीन कीटनाशकों के उपयोग से सुरक्षा और प्रभावोत्पादकता पर डाटा के उपलब्ध न होने के कारण मानवों और पशुओं के स्वास्थ्य का परिसंकट और जोखिम शामिल है ;

और अधिसूचना सं. का.आ. 1512(अ), तारीख 28 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित कीटनाशी आदेश, 2020 को प्रतिबंधित करने के लिए उक्त प्रारूप आदेश को विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले में अगले आदेश तक कीटनाशी को प्रतिबंधित करने से संबंधित तारीख 21 जुलाई, 2020 के अंतरिम आदेश द्वारा उक्त नियम के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी ।

और इसके पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 18 जनवरी, 2023 के आदेश के माध्यम से निदेश जारी किए, एस.बी. के मामले में नारायण सिंह राठौर द्वारा फाइल की गई सिविल रिट याचिका सं. 7474/2020 में 21 जुलाई, 2020 के अंतरिम आदेश को निष्प्रभावी कर दिया गया ।

और प्रारूप आदेश जिसे केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 28 और धारा 36 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारी और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 701(अ), तारीख 15 फरवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, 30 दिनों के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 15 फरवरी, 2023 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त अधिसूचना के संबंध में प्राप्त किए गए आक्षेप और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया था ।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् और पंजीकरण समिति की सलाह से निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (प्रतिषिद्ध) आदेश, 2023 है;

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. कतिपय कीटनाशकों का प्रतिषेध- (1) अधिनियम की धारा 9 के अधीन जारी किए गए पंजीकरण के सभी प्रमाणपत्र रद्द हो जाएंगे और उन कीटनाशकों का विक्रय, वितरण या उपयोग जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, उसके स्तंभ (3) के अधीन उपबंधित तारीख से प्रतिषिद्ध हो जाएगा ।

(2) पंजीकरण समिति, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कीटनाशियों के पंजीकरण के लिए अनुदत्त प्रमाणपत्र को रद्द करेगी ।

(3) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक है, वह खंड (2) के अधीन निर्दिष्ट पंजीकरण समिति को उक्त प्रमाणपत्र तीन मास की अवधि के भीतर वापस लौटाने में असफल रहता है, तो उक्त अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

(4) अधिनियम की धारा 9 के अधीन कीटनाशियों के लिए अनुदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र, अनुसूची में यथाउपबंधित, उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से निरस्त हुआ समझा जाएगा ।

(5) प्रत्येक राज्य सरकार, उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे सभी उपाय करेगी, जो वह राज्य में इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे ।

अनुसूची

[पैरा 2 देखिए]

प्रतिषिद्ध कीटनाशियों की सूची

क्र.सं.	कीटनाशी का नाम	केंद्रीय सरकार का विनिश्चय
1.	डिकोफोल	पंजीकरण के सभी अनुदत्त प्रमाणपत्र रद्द किए जाते हैं और इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से विक्रय, वितरण और उपयोग प्रतिषिद्ध किया जाता है ।
2.	डिनोकैप	पंजीकरण के सभी अनुदत्त प्रमाणपत्र रद्द किए जाते हैं और इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से विक्रय, वितरण और उपयोग प्रतिषिद्ध किया जाता है ।
3.	मिथोमाइल	पंजीकरण के सभी अनुदत्त प्रमाणपत्र रद्द किए जाते हैं और इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से विक्रय, वितरण और उपयोग प्रतिषिद्ध किया जाता है ।
4.	मोनोक्रोटोफोस	1) मोनोक्रोटोफोस-36% एसएल फॉर्मूलेशन का उपयोग बंद किया जाना है और इस आदेश की प्रकाशन की तारीख के पश्चात् इसके विनिर्माण के पंजीकरण हेतु कोई नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा । 2) इस फॉर्मूलेशन का विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, जिससे किसानों को विशिष्ट फसलों में कतिपय कीटनाशियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए इसकी अनुपलब्धता के कारण नुकसान न उठाना पड़े, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए मोनोक्रोटोफोस के अन्य फॉर्मूलेशन के लिए लेबल के दावे बढ़ाए जा सकेंगे। 3) इस अवधि के पश्चात् मोनोक्रोटोफोस-36% एसएल के पंजीकरण के सभी प्रमाणपत्र रद्द हो जाएंगे । मोनोक्रोटोफोस-36% एसएल का विक्रय, वितरण और उपयोग उसकी समाप्ति की अवधि तक केवल विद्यमान स्टॉक की निकासी के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

3. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर और पंजीकरण समिति के परामर्श से, अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित निम्नलिखित कीटनाशकों के लेबल और पत्रक से नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित फसलों को हटाने का निर्णय लिया है, नामत:

(1) प्रत्येक कीटनाशी के सामने उल्लिखित फसलों के लिए निम्नलिखित कीटनाशियों के लेबल दावे इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से जैव-प्रभावकारिता और अवशेष डेटा की अनुपलब्धता के कारण अनुमोदित उपयोग से लोप किया जाएगा ।

सारणी

क्र.सं.	कीटनाशी का नाम	अनुमोदित उपयोग से लोप की गई फसलों के नाम
(1)	(2)	(3)
1.	कार्बोफुरान	कार्बोफुरान के सभी अन्य फॉर्मूलेशन, 3% एनकैप्सुलेटेड ग्रेन्यूल (सीजी) कार्बोफुरान के सिवाय, फसल लेबल सहित इसके उपयोग को रोका जाए ।
2.	मलाथियान	ज्वार, मटर, सोयाबीन, अरंडी, सूरजमुखी, भिन्डी, बैंगन, फूलगोभी, मूली, शलगम, टमाटर, सेब, आम और अंगूर ।

3.	क्यूनलफोस	जूट, इलायची और ज्वार
4.	मैंकोजेब	अमरूद, ज्वार, टेपिओका
5.	आक्सीफ्यूरोफेन	आलू, मूंगफली
6.	डिमेथोएट	उन फलों और सब्जियों के लेबल हटाना, जो कच्चे फलों के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
7.	क्लोरपिरफोस	बेर, साइट्रस और तंबाकू

(2) सभी रजिस्ट्रीकर्ता, जिन्हें उपरोक्त उल्लिखित कीटनाशियों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर सचिव, केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति, एनएच 4, फरीदाबाद को उपरोक्त उल्लिखित फसलों में लेबल दावों को लेबल और पत्रकों से हटाने के लिए अपने प्रमाणपत्र, लेबल और पत्रक सहित, प्रस्तुत करेंगे।

(3) पंजीकरण प्रमाणपत्र में गैर पृष्ठांकन या संशोधन इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में पंजीकरण के ऐसे प्रमाणपत्रों के प्रचालन को अनुज्ञा या अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

(4) प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे उपाय करेगी, जो राज्य में इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक समझे।

[फा.सं. 13035/15/2019-पीपी-I (वोल्यूम. i)]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

S.O. 4294(E).—Whereas, the Central Government in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation constituted an Expert Committee on 8th July, 2013 to examine the continued use or otherwise of neo-nicotinoid insecticides registered in India and the mandate of the Committee was further expanded on 19th August, 2013, to review sixty-six insecticides which were banned or restricted or withdrawn in other countries but continue to be registered for domestic use in India.

And whereas the Committee after detailed examination submitted its report to the Central Government on the 9th December, 2015; which was referred to the Registration Committee and the Registration Committee submitted their recommendations to the Central Government;

And whereas, the Department issued Order dated 14th October 2016, conveying the approval for implementation of the recommendations of the Registration Committee;

And whereas, the said Expert Committee had recommended continuing the use of the twenty seven insecticides as specified in the schedule to this notification and the same to be reviewed after completion of the recommended studies, this was considered by Registration Committee and submitted recommendations to the Central Government;

And whereas, the Central Government, after consultation with the Registration Committee and duly considering their report with regard to status of submission of recommended studies, data and safety concerns, was satisfied that the use of twenty seven insecticides as specified in the schedule to this notification are likely to involve risk to human beings or animals as to render it expedient or necessary to take immediate action;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) published a draft Order for Banning of Insecticides *vide* notification number S.O. 1512(E), dated 18th May, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) and invited objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 18th May, 2020;

And whereas, the objections or suggestions received in respect of the said draft Order were referred to an Expert Committee constituted for the purpose which were duly considered by the said Expert Committee;

And whereas, the Central Government, after considering the report of the Expert Committee and after consultation with the Registration Committee, set up under the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is satisfied that the use of three insecticides involves health hazards and risk to human beings and animals due to non-availability of data on safety and efficacy;

And whereas, the said draft Order for Banning of Insecticides Order, 2020, published vide notification number S.O. 1512(E), dated 18th May, 2020, was challenged in various High Courts. And the Hon'ble High court of Rajasthan had stayed the implementation of the said rules vide interim Order dated 21st July, 2020, relating to Prohibition of Insecticides till further Order in the case.

And whereas, thereafter, Hon'ble High Court of Rajasthan, has issued direction through an Order dated 18th January, 2023, in the matter of S.B. Civil Writ Petition No. 7474/2020 filed by Narayan Singh Rathore, that the interim Order dated 21st July, 2020, is vacated.

And whereas, the Draft Order, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 and sub-section (1) of section 36 of the Insecticides Act, 1968 , was published vide notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) *vide* number S.O. 701(E), dated 15th February, 2023, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 15th February, 2023;

And whereas objections and suggestions received in respect of the said notification were duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) (herein referred to as the Act), the Central Government after considering the recommendations of the Expert Committee and in consultation with the Registration Committee hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement** –

(1) This Order may be called the Insecticides (Prohibition) Order, 2023;

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Prohibition of certain insecticides - (1) All the certificates of registration granted under section 9 of the Act, stands cancelled and sale, distribution or use is prohibited of the insecticides as specified in the Schedule to this Order from the date provided under column (3) thereof.

(2) The Registration Committee shall revoke the certificate of registration granted for the insecticides specified in the said Schedule.

(3) If any person who holds the certificate of registration fails to return the said certificate to the Registration Committee, referred under clause (2) of this Order, within a period of three months, appropriate action shall be taken under the provisions contained in the said Act.

(4) The certificate of registration for the insecticides, granted under section 9 of the Act, as provided in the Schedule shall be deemed to be cancelled from the date specified under column (3) of the said Schedule.

(5) Every State Government shall take all such steps under the provisions of the Act and the rules framed thereunder, as it considers necessary for the implementation of this Order in the State.

The Schedule

[See paragraph 2]

List of Prohibited Insecticides

Sl. No.	Name of Insecticide	Decision of the Central Government
(1)	(2)	(3)
1.	Dicofol	All the certificates of registration granted stands cancelled and sale, distribution or use is prohibited from the date of publication of this Order.
2.	Dinocap	All the certificates of registration granted stands cancelled and sale, distribution or use is prohibited from the date of publication of this Order.
3.	Methomyl	All the certificates of registration granted stands cancelled and sale, distribution or use is prohibited from the date of publication of this Order.
4.	Monocrotophos	1) The use of Monocrotophos 36% SL formulation is to be discontinued and no new certificate of registration for its manufacture shall be issued after publication of this Order. 2) With an objective of providing alternatives of this formulation so that the farmers do not suffer losses due to non-availability of effective control against certain insect pests in specific crops, the label claims for other formulations of Monocrotophos may be extended in one year period from the date of publication of this Order. 3) After this period, all the certificates of registration of Monocrotophos 36% SL will stand cancelled. Sale, distribution or use of Monocrotophos 36% SL shall be allowed only for clearance of existing stock till its expiry period.

3. Further, the Central Government, on recommendations of the Expert Committee and in consultation with Registration Committee, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 27 of the Act, has decided for omitting crops as mentioned in column (3) of the table below from the label and leaflets of the following insecticides mentioned in column (2) of the said table , namely :—

(1) The label claim of the following insecticides for the crops mentioned against each insecticide shall be omitted from the approved use due to non-availability of bio-efficacy and residue data with effect from the date of publication of this Order:

Table

S. No.	Name of Insecticide	Names of crops to be omitted from approved usage
(1)	(2)	(3)
1	Carbofuran	All other formulations of Carbofuran except Carbofuran three percent Encapsulated granule (CG) along with the crop labels may be stopped from use.
2	Malathion	Sorghum, Pea, Soybean, Castor, Sunflower, Bhindi, Brinjal, Cauliflower, Radish, Turnip, Tomato, Apple, Mango and Grape.
3.	Quinalphos	Jute, Cardamom and Sorghum.
4.	Mancozeb	Guava, Jowar and Tapioca.
5.	Oxyfluorfen	Potato and Groundnut.
6.	Dimethoate	Label deletion of fruits and vegetables that are consumed as raw food items.
7.	Chlorpyriphos	Ber, Citrus and Tobacco.

(2) All registrants granted certificate of registration in respect of the above mentioned insecticides shall submit their certificate along with label and leaflet for deletion of label claims on the above mentioned crops to the Secretary, Central Insecticides Board and Registration Committee, NH-IV, Faridabad, within six

months from date of publication of this Order, failing which action to revoke licenses under section 14 of the Act, shall be initiated.

(3) Non-endorsement or correction in the certificate of registration shall not be taken as permission or approval to operate upon such certificates of registration in contravention of the provisions of this Order.

(4) Every State Government shall take such steps under the Act and the rules made thereunder, as it considers necessary, for the implementation of this Order in the State.

[F. No. 13035/15/2019-PP-I (vol. i)]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.10.06 16:25:37 +05'30'